कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक ... कारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, ..., देहरादून।

पत्रांक– 2648/FP/UK/ROAD/9773/2015 :देहरादून:दिनांकः 23 मार्च, 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कर्णप्रयाग।

विषयः– जनपद–चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज–13) के अन्तर्गत अल्मोड़ा–बैजनाथ–कर्णप्रयाग मार्ग के किमी0 100 गुडम स्टेट से विजयपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.71 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 113/X-4-15/1(29)/2015 दिनांक 20–03–2015 (प्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जिसकी प्रति अन्यों सहित आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्न प्रकार इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. शासन की शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 7.42 है0 तलवाडी एवं लुडा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 9,64,600.00 (रू0 नौ लाख चौसठ हजार छः सौ) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

1.1 शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित तलवाडी एवं लुडा सिविल सोयम भूमि, जिनका कुल क्षेत्रफल 7.42 है0 है, को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा व इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। उक्त कार्यवाही सम्पन्न करवाकर जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र मय अभिलेख इस कार्यालय को अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त भूमि को अपने कब्जे में लिये जाने का प्रमाण–पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 20,00,000.00 (रू0 बीस लाख) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र के अनुसार एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 34,83,690.00 (रू0 चौतीस लाख तिरासी हजार छः सौ नब्बे) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

4. शर्त संख्या–1, 2 व 3 के अनुपालन में उपरोक्तानुसार देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/c No.037100101025229 कॉरपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा कराने का कष्ट करें। RTGS हेतु कॉरपोरेशन बैंक का IFSC Code CORP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कॉरपोरेशन बैंक की [illegible]

धनराशि का सम्बन्धित बैंक द्वारा यू0टी0आर0 नम्बर एवं दिनांक भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने व कष्ट करें, ताकि इसकी सूचना तद्र्थ कैम्पा को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित की जा सके।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तो की बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही किया जा सके।

संलग्नः—यथोपरि

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
वन संरक्षक

संख्या / FP/UK/ROAD/9773/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन सरंक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, जनपद–चमोली।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर। **(संलग्न–यथोपरि)**
5. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, सहत्रधारा रोड़, देहरादून। **(संलग्न–यथोपरि)**

(मनोज चन्द्रन)
वन संरक्षक